पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

पशुपालन प्रक्षेत्र

वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु पशुपालन प्रक्षेत्र से संबंधित मुख्य योजनाओं का संक्षिप्त आलेख

(दिनांक–05.01.2015)

वर्ष 2012–17 के लिए प्रस्तावित कृषि रोड मैप के अन्तर्गत विभाग द्वारा पशुपालन प्रक्षेत्र हेतु अनेकों महत्त्वाकांक्षी योजनाएँ प्रस्तावित हैं ताकि यह प्रक्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण योगदान देकर ग्रामीण बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार का अवसर प्रदान कर विकास की मुख्य धारा में उन्हें शामिल कर सके।

12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) का मुख्य उद्देश्य पशुपालन प्रक्षेत्र के तहत् कार्यान्वित किए जाने वाले कार्यक्रम यथा बकरी पालन, कुक्कुट पालन, भेड़ पालन एवं दुग्ध उत्पादन के माध्यम से बेरोजगार पशुपालक, किसान, युवक एवं युवतियों को स्वरोजगार का अवसर प्रदान कर राज्य में दुग्ध, अंडा, मांस एवं ऊन उत्पादन में वृद्धि कर उनके आर्थिक स्थिति में सुधार करना है।

वित्तीय वर्ष 2014–15 में बिहार कृषि रोड मैप के तहत् कार्यान्वित की जाने वाली प्रस्तावित योजनाओं का संक्षिप्त विवरणी निम्न प्रकार है :–

1–**पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य की योजना :–**

इस योजना के तहत् विभिन्न प्रकार की प्रोग्राम/घटक को कार्यान्वित किया जाना है। यह योजना पशुपालन प्रक्षेत्र हेतु महत्त्वपूर्ण योजना है।

पूर्व से संविदा पर नियोजित पशु चिकित्सकों का मानदेय का भुगतान किया जाएगा। साथ ही 300 नये पशु चिकित्सालयों में संविदा के आधार पर 300 नये भ्रमणशील पशु चिकित्सकों को नियोजित कर पदस्थापित किया जाएगा। राज्य में कार्यरत सभी पशु चिकित्सालयों में पशुओं के जीवन रक्षा हेतु निःशुल्क प्राणरक्षक पशुदवा एवं मशीनें एवं उपस्कर उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। 589 डॉटा इन्ट्री ऑपरेटर की सेवा बेल्ट्रान के माध्यम से लेकर Reporting System को सुदृढ़ करना है। इस योजना के तहत् एम्बुलेट्री वैन के वाहन के ईंधन एवं रख रखाव, चालक एवं दवा आदि उपलब्ध करना है। ताकि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सा सेवा से पशुपालकों के पशुओं को अच्छादित किया जा सके। पशु चिकित्सा सेवा को सुदृढ़ करने एवं पशुपालकों के दरवाजे पर पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने हेतु पशु चिकित्सालयों में पदस्थापित पशु चिकित्सकों को निजी मोटर साईकिल हेतु ईंधन की व्यवस्था एवं निजी मोबाईल हेतु रिचार्ज कूपन की व्यवस्था करना इस योजना का महत्त्वपूर्ण अंग है। इस योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु 3000.00 लाख रूपये की योजना की स्वीकृति राज्यादेश सं0–2007 दिनांक–02.07.2014 द्वारा प्रदान की गयी है।

2– पशु एवं भैंस विकास योजना (कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम) :–

प्रस्तावित योजना के तहत् फ्रोजेन सीमेन बैंक–सह–बुल स्टेशन, पटना का सुदृढ़ीकरण करते हुए सीमेन उत्पादन युक्त बनाना है, ताकि कृत्रिम गर्भाधान कार्य को बड़े पैमाने पर राज्य में कार्यान्वित किया जा सके। साथ ही प्रमाणिक फ्रोजेन सीमेन स्ट्रॉ का उत्पादन किया जा सके।

राज्य में स्थापित बिहार लाईव स्टॉक डेवलपमेन्ट एजेन्सी, पटना के आन्तरिक प्रशासनिक संरचना के सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव है। इस योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु 50.00 लाख रूपये की योजना स्वीकृति राज्यादेश सं0–2214 दिनांक–22.07.2014 द्वारा प्रदान की गयी है। साथ ही रूपये 250.00 लाख (सहायक अनुदान की राशि) की योजना की स्वीकृति राज्यादेश संख्या–3275 दिनांक–21.10.2014 द्वारा प्रदान की गयी है।

वर्ष 2014–15 में द्वितीय अनुपूरक आगणन से रूपये 130.15 लाख प्राप्त हुए हैं, जिससे **43 पशुधन विकास केन्द्रों की स्थापना की योजना** की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

3– **गोशाला विकास की योजना :–**

राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्य में स्थापित गोशालाओं को Update & Upgrade करते हुए मॉडल गोशाला के रूप में विकसित किया जा सके। वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2014–15 में कुल 10 गोशालाओं को देसी नस्ल के गोवंश का क्रय कर संरक्षण/सवंर्द्धन/आधारभूत संरचना के विकास/गोबर गैस प्लान्ट की स्थापना एवं वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन संबंधी कार्य हेतु प्रति गोशाला अधिकतम रूपये 20.00 लाख अनुदान देने का प्रस्ताव है। इस योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु 200.00 लाख रूपये की योजना स्वीकृति राज्यादेश सं0–3277 दिनांक–21.10.2014 द्वारा प्रदान की गयी है।

4– समेकित मुर्गी विकास योजना :–

राज्य योजनान्तर्गत लो–इनपुट प्रजाति के कुक्कुटों का उत्पादन एवं वितरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाना है। राज्य के कुक्कुट प्रक्षेत्रों यथा पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णियाँ एवं किशनगंज में उत्पादित चूजों को चार सप्ताह तक पालकर पोषण क्षेत्र में रहने वाले बी0पी0एल0 परिवारों को अनुदानित दर पर वितरित किया जाना है।

राज्य सरकार द्वारा बैकयार्ड कुक्कुट पालन योजना (For SC-SP/ TSP) के तहत् ग्रामीण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के परिवारों को 25 चूजों को चार सप्ताह तक मदर यूनिट में पालकर दिये जायेगे। इससे उनके आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

उपरोक्त योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु 2459.40 लाख रूपये की योजना स्वीकृति राज्यादेश सं0–1751 दिनांक–09.06.2014 द्वारा प्रदान की गयी है।

पुनः उक्त राज्यादेश में संशोधन करते हुए राज्यादेश सं0–3273 दिनांक–21.10.2014 द्वारा **लेयर मुर्गी फार्म की स्थापना पर 50 प्रतिशत अनुदान की योजना** (रूपये 475.00 लाख) एवं राज्योदश सं0–4387 दिनांक–11.12.2014 द्वारा **अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभुकों को 25 चूजा निःशुल्क वितरण की योजना** (रूपये 1703.40 लाख) की स्वीकृति प्रदान की गई है। साथ ही **एवियन इन्फ्लूएंजा रोग नियत्रंण योजना** हेतु 44.00 लाख की स्वीकृति राज्यादेश संख्या–2215 दिनांक–22.07.2014 द्वारा प्रदान की गयी है। वर्ष 2014–15 में द्वितीय अनुपूरक आगणन से रूपये 2010.80 लाख प्राप्त हुए हैं, जिससे **80 लेयर मुर्गी फार्म की स्थापना पर 50 प्रतिशत अनुदान की योजना** की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

5–(A) समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना :–

राज्य सरकार द्वारा पूर्णियाँ बकरी पालन–सह–प्रजनन प्रक्षेत्र की स्थापना वित्तीय वर्ष 2009–10 में की गई है। यह प्रक्षेत्र राज्य का एम मात्र बकरीपालन–सह–प्रजनन प्रक्षेत्र है। जिसका उद्देश्य स्थानीय कम उत्पादन क्षमता वाली बकरियों को क्रमित रूप से उनन्त नस्ल के बकरियों में प्रतिस्थापन करना है। इस प्रक्षेत्र से उत्पन्न होने वाले 50 प्रतिशत मेमनों को ग्रमीण क्षेत्रों में अनुदानित दर पर वितरण किया जाना है, 40 प्रतिशत मेमनों को खुले बाजार में बेचा जाना है तथा 10 प्रतिशत मेमनों को प्रक्षेत्र को विकास हेतु रखा जाना है। इस योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु 85.00 लाख रूपये की योजना की स्वीकृति राज्यादेश सं0–1599 दिनांक–28.05.2014 द्वारा प्रदान की गयी है। साथ ही राज्य योजनान्तर्गत 365.00 लाख रूपये मात्र की अनुमानित लागत पर समेकित बकरी एवं भेंड़ विकास योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए पूर्णियाँ प्रमंडल के जिलों–पूर्णियाँ, अररिया, कटिहार, किशनगंज तथा गया एवं समस्तीपुर जिला के अधिक बकरी संख्या वाले चिन्हित राजस्व ग्राम में निःशुल्क उन्नत नस्ल का बकरा वितरण करने की योजना राज्यादेश सं0–3274 दिनांक–21.10.2014 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है।

(B) बैकयार्ड बकरीपालन योजना (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लिए विशेष घटक योजना) :–

राज्य सरकार द्वारा बैकयार्ड बकरी पालन योजना (For SC-SP/ TSP) के तहत् ग्रामीण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के परिवारों को आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से उन्नत नस्ल के तीन प्रजनन योग्य बकरियाँ प्रति परिवार वितरण किया जाना है, ताकि राज्य में बकरी/बकरा मांस उत्पादन में वृद्धि एवं बकरीपालकों के आय में वृद्धि हो सके।

वित्तीय वर्ष 2014–15 में 1330.76 लाख की अनुमानित लागत पर गया एवं समस्तीपुर जिला में अनुसूचित जाति के परिवारों तथा पूर्णियाँ एवं कटिहार जिला में अनुसूचित जन जाति के परिवारों के बीच तीन प्रजनन योग्य बकरी (एक इकाई) का निःशुल्क वितरण किये जाने का योजना राज्यादेश सं0–3276 दिनांक–21.10.2014 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है।

वर्ष 2014–15 में प्रथम अनुपूरक आगणन से रूपये 46.17 लाख प्राप्त हुए हैं, जिससे बकरीपालन–सह–प्रजनन प्रक्षेत्र, मरंगा, पूर्णियां में कार्यरत कर्मियों के वेतनादि भुगतान हेतु योजना की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

6–पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग पशुपालन के लिए भवनों के निर्माण की योजना :–

इस योजना के तहत् आधारभूत संरचना को विकसित करने का प्रस्ताव है। इसके तहत् पशु चिकित्सालय के भवन का निर्माण का कार्य भवन निर्माण विभाग के माध्यम से कराया जाना है। इस योजना के तहत भवन निर्माण विभाग द्वारा रूपये 980.70 लाख की योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है तथा कुल राशि का व्यय कर लिया गया है। वर्ष 2014–15 में द्वितीय अनुपूरक आगणन से रूपये 691.90 लाख प्राप्त हुए हैं, जिसे भवन निर्माण विभाग के संगत बजट शीर्ष में प्रावधान करा दिया गया है।

7– बिहार पशु विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय :–

अनुमोदित कृषि रोड मैप (2012–17) के लिए राज्य में पशु विज्ञान, गव्य विज्ञान एवं मत्स्य विज्ञान के अध्ययन एवं शोध कार्य हेतु **Bihar University of Animal Science & Technology** की स्थापना की योजना की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तावित है ताकि इन संस्थानों के द्वारा पशु विज्ञान एवं तकनीकी ज्ञान के क्षेत्र में यह राज्य अग्रणी भूमिका निभा सके। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्त्ति हेतु में **Bihar University of Animal Science & Technology** की स्थापना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिस पर कुल 840.00 करोड़ रू0 व्यय होने की संभावना है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में प्रस्तावित विश्वविद्याालय की स्थापना/ गठन के लिए ₹ 100.00 लाख रू0 व्यय हेतु प्रस्तावित है।

केन्द्र प्रायोजित योजना

8–राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम :–

यह केन्द्र प्रायोजित योजना राज्य में केन्द्रांश 75% एवं राज्यांश 25% पर चालित है। इस योजना के तहत् पशुओं को संक्रामक रोग से बचाव हेतु सघन टीकाकरण की जाती है। साथ ही पशुपालकों एवं पशु चिकित्सकों को क्षेत्रों में सेमिनार एवं कार्यशाला आयोजित कर पशु चिकित्सा सेवा से संबंधित नवीन तकनीक एवं पशु रोगों के बचाव से संबंधित जानकारी दी जाती है। इस योजना का मुख्य कार्य वर्ष में दो बार माह मई–जून एवं अक्टूबर–नवम्बर में राज्य में एच0एस0बी0क्यू0 एवं एफ0एम0डी0 टीकाकरण का कार्य पशुओं में पशुपालकों के दरवाजे तक उपलब्ध कराया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2014–15 में इस योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु 2812.20 लाख रूपये की योजना स्वीकृति राज्यादेश सं0–2311 दिनांक–31.07.2014 द्वारा प्रदान की गयी है।

9– एकीकृत न्यादर्श सर्वेक्षण के तहत् दुग्ध, अंडा, मांस एवं ऊन उत्पादन के अनुमान लगाने की योजनाः–

यह योजना राज्य में केन्द्रांश 50% एवं राज्यांश 50% पर चालित है। इस योजना के तहत् ऋतुवार पशु उत्पाद का आँकड़ा का संकलन कर समेकित प्रतिवेदन भारत सरकार को भेजा जाता है। ये आँकड़े विभागीय योजना के सूत्रण का मुख्य आधार है।

वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए इस योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु रूपये 176.46 लाख (राज्यांश–रूपये 83.73 लाख एवं केन्द्रांश–रूपये 92.73 लाख) की येाजना राज्यादेश सं0–3240 दिनांक–20.10.2014 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है।

10–पशु चिकित्सा परिषद् की स्थापना की योजना :–

यह योजना राज्य में केन्द्रांश 50% एवं राज्यांश 50% पर चालित है। वर्त्तमान में पशु चिकित्सा परिषद् का कार्य क्षेत्र पशु चिकित्सकों के निबंधन तक ही सीमित है। पशु चिकित्सा परिषद् को अधिक प्रभावकारी बनाने हेतु आधारभूत संरचाना को विकसित करने की आवश्यकता है ताकि पशु चिकित्सा परिषद् अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। वित्तीय वर्ष 2014–15 में इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु राज्यांश के रूप में ₹ 5.00 लाख रूपये व्यय की योजना स्वीकृति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

11– राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन कार्यक्रम :–

यह योजना राज्य में केन्द्रांश 75% एवं राज्यांश 25% पर चलाया जाना प्रस्तावित है। इस योजना के तहत वर्ष 2014–15 में द्वितीय अनुपूरक आगणन के माध्यम से रूपये 92.50 लाख का प्रावधान किया गया है। भारत सरकार से राशि प्राप्त होने के उपरान्त राशि का व्यय कर योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

12– पशु चिकित्सालयों के भवन निर्माण की योजना :–

इस योजना के तहत् आधारभूत संरचना को विकसित करने का प्रस्ताव है। इसके तहत् पशु चिकित्सालय के भवन का निर्माण कार्य कराया जाना है। इस योजना अंतर्गत 40 पशु चिकित्सालयों का भवन निर्माण ₹ 54.80 लाख प्रति पशु चिकित्सालय (संशोधित प्राक्कलन) की दर से कुल ₹ 2337.28 लाख का प्रस्ताव राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति से अनुशंसित होने के उपरान्त राज्य मंत्रिपरिषद् से स्वीकृत है। राज्यादेश निर्गत होने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।